(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	प्रमुख अभियंता लो.नि.वि. रायपुर	बेरोजगार इंजीनियर (बी.ई.) पंजीयन हेतु	15	पर्यवेक्षक कार्यालय प्रमुख अभियंता	मुख्य अभियंता (योजना) कार्यालय प्रमुख अभियंता	प्रमुख अभियंता

[छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 16-12-2011 को पृष्ठ 634(2)-(3) में प्रकाशित]

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक एफ 4-87/2011/18, दिनांक 16-12-2011—छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

सरल क्रमांक	कार्यालय/निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	नगर निगम	नल कनेक्शन जहां तकनीकी रुप से साध्य हो, वहां नवीन नल कनेक्शन प्रदाय किया जाना	30 कार्य दिवस	आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कार्यपालन अभियंता	आयुक्त, नगर निगम	कलेक्टर
		भवन निर्माण अनुज्ञा भवन निर्माण अनुज्ञा प्रदाय किया जाना	30 कार्य दिवस	आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कार्यपालन अभियंता	आयुक्त, नगर निगम	कलेक्टर
2.	नगर पालिका परिषद्	नल कनेक्शन जहां तकनीकी रुप से साध्य हो, वहां नवीन नल कनेक्शन प्रदाय किया जाना	30 कार्य दिवस	मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा प्राधिकृत उप अभियंता	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व
		भवन निर्माण अनुज्ञा भवन निर्माण अनुज्ञा प्रदाय किया जाना	30 कार्य दिवस	मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा प्राधिकृत उप अभियंता	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व
3.	नगर पंचायत	नल कनेक्शन जहां तकनीकी रुप से साध्य हो, वहां नवीन नल कनेक्शन प्रदाय किया जाना	30 कार्य दिवस	मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा प्राधिकृत उप अभियंता	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व
		भवन निर्माण अनुज्ञा भवन निर्माण अनुज्ञा प्रदाय किया जाना	30 कार्य दिवस	मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा प्राधिकृत उप अभियंता	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व

[छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 16-12-2011 को पृष्ठ 634(4)-(5) में प्रकाशित]

परिवहन विभाग अधिसूचना क्रमांक एफ 5-3/आठ/परि./2011, दिनांक 16-12-2011—छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात् :—